



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112025-267642
CG-DL-E-13112025-267642

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4981]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2025/कार्तिक 21, 1947

No. 4981]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2025/KARTIKA 21, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5150(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3502 (अ), तारीख 29/07/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिल्हे में महागांव तालूके के हिवरा (संगम) गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361 के कि.मी. 320.580 से कि.मी. 400.575 कि.मी (महागांव-यवतमाल खंड) तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ाकरण/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "05/08/2025" को "लोकमत टाइम्स" और "दैनिक भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था।

और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए।

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाए।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यां. 361 के कि.मी. 320.580 से कि.मी. 400.575 (महागांव-यवतमाल खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: यवतमाळ		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: महागाव					
गांव का नाम: हिवरा संगम					
1	12/2	निजी	कृषि	0.05	यासीन हबीब सुरैया 12/2
2	12/3	निजी	कृषि	0.06	यासीन हबीब सुरैया 12/3
3	12/4	निजी	कृषि	0.04	नितिन देवीदास कदम 12/4
4	13/2ए	निजी	कृषि	0.16	अशोक रामलाल जैस्वाल 13/2A
5	13/4	निजी	कृषि	0.04	बाबुराव दिगावर कदम 13/4
6	15/1	निजी	कृषि	0.39	शुभाषलाल चंदूलाल जैस्वाल 15/1
7	15/1	निजी	कृषि	0.26	रमेश रामलाल जैस्वाल 15/1
8	18/2	निजी	कृषि	0.03	राधाबाई एकनाथ कदम 18/2
9	18/3	निजी	कृषि	0.11	सचिन एकन्य कदम 18/3
10	2/1	निजी	कृषि	0.05	पुरुषोत्तम आनंदराव कदम 2/1
11	81/3ए	निजी	कृषि	0.14	मुकुंद सुभाष पांडे 81/3A
12	82/5	निजी	कृषि	0.06	विलास अवधूत कदम 82/5
कुल योग				1.39	

[फा. सं. NHAI/PIU/YAVATMAL/LA/NH-361/2017/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th November, 2025

S.O. 5150(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 3502 (E), dated 29/07/2025, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No 361 in the stretch of land from Km. 320.580 to Km. 400.575 (Mahagao-Yavatmal Section) in village Hiwra (Sangam) Taluka Mahagaon District Yavatmal in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification has been published in " Lokmat Times " and "Dainik Bhaskar " both dated 05/08/2025, under sub-section (3) of section 3(A) of the said Act;

And whereas no objections have been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3(D) of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3(D) of the said, Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3(D) of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 320.580 to Km. 400.575 (Mahagaon-Yavatmal Section) in the district of Yavatmal in the State of Maharashtra

State: MAHARASHTRA			District: YAVATMAL		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Mahagaon					
Village: Hiwara Sangam					
1	12/2	Private	Agriculture	0.05	Yasin Habib Suraya 12/2
2	12/3	Private	Agriculture	0.06	Yasin Habib Suraya 12/3
3	12/4	Private	Agriculture	0.04	Nitin Devidas Kadam 12/4
4	13/2A	Private	Agriculture	0.16	Ashok Ramlal Jaiswal 13/2A
5	13/4	Private	Agriculture	0.04	Baburao Digamber Kadam 13/4
6	15/1	Private	Agriculture	0.39	Shubhashlal Chandulal Jaiswal 15/1
7	15/1	Private	Agriculture	0.26	Ramesh Ramlal Jaiswal 15/1
8	18/2	Private	Agriculture	0.03	Radhabai Eknath Kadam 18/2
9	18/3	Private	Agriculture	0.11	Sachin Eknth Kadam 18/3

10	2/1	Private	Agriculture	0.05	Purushottam Anandrao Kadam 2/1
11	81/3A	Private	Agriculture	0.14	Mukund Subhash Pande 81/3A
12	82/5	Private	Agriculture	0.06	Vilas Avdhut Kadam 82/5
Total				1.39	

[F. No. NHAI/PIU/YAVATMAL/LA/NH-361/2017/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director